161 नए उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न वाले होने चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की नीति यह है कि केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों की वेतन संरचना औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न से संबंधित होनी चाहिए। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों को पहले से अनुमति दे दी गई थी कि उनके वेतनमान केन्द्रीय वेतनमानों तथा औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न पर ही प्रवृत्त होंगे, लेकिन सरकार ने इन उद्यमों के प्रबंधक वर्ग को सुझाव दिया था कि वे औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाएं। ब्यूरो के तारीख 21.7.1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(2)/80– बी पी ई (डब्ल्यू.सी.) के अनुसार इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए थे जिनमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि किसी भी नए रूप से बने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को केन्द्रीय महंगाई भत्ते के पैटर्न में प्रचालन करने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उन्हें प्रारंभ से ही औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के साथ संबंधित वेतनमानों को अपनाना चाहिए। तथापि, यह खेद का विषय है कि पिछले 2–3 वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्यमों ने इस संबंध में सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए नीति संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है और उन्होंने केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों और महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाया। ऐसा करना ठीक नहीं है। अतः यह अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नए उद्यम को केन्द्रीय वेतनमान और महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाने की अनुमति न दी जाए, उचित आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

(लोक उद्यम ब्यूरो का 31 जुलाई, 1984 का अ. शा. सं. 2 (145)/72–बी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.)